न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 42/2016

प्रार्थीगण

1.रेखाराम पुत्र सुखाराम उम्र 40 वर्ष

2.सोहनी देवी पत्नी रेखाराम उम्र 38 वर्ष

3.राजूराम पुत्र ओंकारराम उम्र 38 वर्ष

4.गीता देवी पत्नी राजूराम उम्र 36 वर्ष जाति समस्त जाट निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1.हीराराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

2.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र रास्ता बाबत दिलाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1.श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

2.श्री हनुवन्तसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 24/04/2017

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 2.63 हैक्टर वाके सरहद कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी में स्थित है जिसमें आने जाने के लिए मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है जिससे प्रार्थीगण के खेत मे आने–जाने का आवागमन बिल्कुल बन्द है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 386 में आने–जाने के लिए मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कटाणी या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने का आवागमन बिल्कुल बन्द है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि मे आने–जाने, मवेशी, छकड़, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए रास्ता मौके पर नही होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने, मवेशी, गाड़ी, छकड़ा ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 386 में आने–जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए एक मात्र रास्ता किशनगढ़ से हनुमानगढ़ जाने वाली मेगा हाईवे मुख्य सड़क से फटकर अप्रार्थी संख्या एक के खातेदारी व कब्जसुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर वाके सरहद कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर में स्थित भूमि की उत्तरी सींव के पास पास प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 386 की भूमि में प्रवेश करता है इस रास्ते क अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने–जाने के लिए अन्य कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नही है और यही रास्ता सबसे नजदीक पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 386 मे आने जाने गाड़ी छगड़ा ट्रेक्टर मवेशी इत्यादि लाने–ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3295/391 की उत्तरी सींव के पास–पास 12.25 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। नजरी नक्शा को प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा में दर्शाये गये खेत खसरा नं. 3295/391

..... 2 .....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाके कुचामनसिटी में से मार्क ए से बी की प्रार्थीगण रास्ता की मांग करते है जिसके एवज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 386 वाके सरहद कुचामनसिटी में बाह जोत करने, आने–जाने छकड़ा ट्रेक्टर मवेशी आदि लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3295/391 वाके सरहद कुचामनसिटी मे से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क **A** से **B** 12.25 मीटर चौड़ा कटाणी रास्ता कायम किया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल उपलब्ध है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस की नकल तथा ग्राम कुचामनसिटी के खाता संख्या 757, 918, की जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 237/08 (58/2007) हीराराम बनाम कालूराम वगैर में पारित निर्णय दिनॉक 04.05.2012 एवं बंटवारा स्कीम की प्रति प्रस्तुत की तथा जमाबन्दी नकल सम्वत 2062–2065 की प्रति प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने सही तथ्यो को छिपाया है जबकि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 386 रकबा 2.63 हैक्टर को दिनॉक 01.09.2010 से पूर्व ही खरीद लिया था क्योंकि प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 3882/01.9.2010 अंकित है अर्थात प्रार्थीगण आज से करीब 6 साल लम्बी अवधि तक जिस रास्ते का उपयोग–उपभोग अपने खेत में आने–जाने हेतु करते रह उसके बारे में उल्लेख नही किया है, पैरा में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही होना व खेत में आने–जाने का आवागमन बिल्कुल बन्द बताना इस बात को स्पष्ट करता है, अतः पैरा पूर्णतया संदिग्ध होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 386 में आने–जाने के लिए मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कटाणी या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है जिससे आवागमन बिल्कुल बन्द है जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 386 में आने–जाने के लिए कटाणी रास्ता भी है और वैकल्पिक रास्ते भी एक नही दो–दो है अतः पैरा के तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि मे आने–जाने मवेशी,छकड़ा, ट्रेक्टर आदि के लिए रास्ता मौके पर नही होने के कारण भारी असुविधाओ का समाना करना पड़ने की बात लिखी है जो किसी अवस्था में विश्वास करने के योग्य नही है क्योकि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 386 की पूर्व दिशा में उनके खेत की सीमा के सटाकर पत्थर व कंकरीट की मजबूत सड़क बनी हुई है जिससे 10–15 फीट आगे पक्की डामर की सड़क है जिस पर प्रार्थीगण के खेत का रास्ता खुलता है वहाँ पर एक प्लाट भी प्रार्थीगण ने अपने खेत से पूर्व दिशा में गंगाराम जी, दूलजी पुत्र जीवणराम जी कुमावत से खरीद रखा है। उक्त पूर्व दिशा के रास्ते से प्रार्थीगण के मवेशी, छकड़ा, ट्रेक्टर व अन्य वाहनो का आवागमन होता है तथा उक्त रास्ता कुचामनसिटी के कॉलेज के पास जाकर कुचामनसिटी से नारायणपुरा जाने वाली मुख्य सड़क में मिलता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को जब से खेत खरीदा है बिना किसी दुविधा के उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे है इस तथ्य को न्यायालय से छिपाया है अतः पैरा अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 386 में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर वाके कुचामनसिटी में स्थित भूमि की उतरी सींव के पास–पास प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 386 की भूमि मे प्रवेश करना लिखा है जो प्रार्थीगण के पैरा संख्या 1,2 व 3 में वर्णित तथ्यो को स्वतः ही आधारहीन व असत्य साबित कर देता है क्योंकि उपरोक्त तीनों पैराज में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 386 में आवागमन बिल्कुल बन्द बताया गया है जबकि सच्चाई यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर की भूमि में से कोई रास्ता न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की भूमि में आने जाने हेतु स्थित है और न ही किसी अन्य खातेदारो की भूमि मे कोई रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से आने हेतु स्थित है। प्रार्थीगण ने जहा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मे से उनके स्वयं के खेत तक रास्ता होने के अपने नजरी नक्शे में मार्क **A** से **B** द्वारा दर्शाये है तथा उक्त नजरी नक्शे को प्रार्थना–पत्र का भाग होना बताया है वह भी पूर्णतया आधारहीन, असंगत व असत्य है जिस मौका कमिश्नर द्वारा नक्शा मौका व रिपोर्ट पेश करना बताया है वह इस बात का प्रमाण है कि स्वयं झूंठ ही उक्त मौका कमिश्नर की असत्य रिपोर्ट से शर्मसार हो जायेगी और कहेगी कि उससे भी झूंठा कोई आदमी यहाँ कुचामन मे मौजूद है। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट व नक्शे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे की घोर भर्त्सना की जाकर विरोध में कमिश्नर भेजे जाने का प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया जा रहा है जो उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखकर निष्पक्ष मौका रिपोर्ट व नक्शा मौका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु आदेश प्रदान किये जावे जिससे सच्चाई सामने आ सके। राजस्व वाद सख्या 237/08 हीराराम वगैरह बनाम कालूराम वगैरह में प्रार्थीगण 1 से 4 भी पक्षकार वादीगण थे तथा अप्रार्थीग संख्या 1 हीराराम भी वादी था। उक्त वाद में मौका कमिश्नर भेजकर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को भेजकर मंगवाया था जो दिनॉक 11.04.2012 को मौके पर रिपोर्ट व नक्शा मौका रिपोर्ट तैयार कर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये थे जिसमे रेखाराम के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा व मौका कमिश्नर की रिपोर्ट व नक्शा मौका की पूर्ण जानकारी रेखाराम को है जिसे न्यायालय से छिपाया है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 383,384,385,386 सब एक चक में थे जिसमें आवागमन हेतु रास्ता कुचामन से जूसरी जाने वाली पक्की सड़क से लगता हुआ उत्तर–दक्षिण इन खसरान मे आने–जाने हेतु छोड़ा हुआ है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 386 के पुराने खातेदार रामूराम, मानाराम पिसरान हुक्माराम व भंवरी, सोहनी पुत्रिया हुक्माराम से खसरा संख्या 386 की जमीन खरीदी थी और उनके स्थान पर प्रार्थीगण नामान्तरकरण द्वारा खातेदार काश्तकार दिनॉक 01.09.2010 को दर्ज किये गये, निर्णय 04.05.2012 व मौका रिपोर्ट दिनॉक 11.04.2012 मय नक्शा मौका व रिपोर्ट तथा निर्णय व डिक्री पर्चा की नकले इस जवाब के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिनको इसी जवाब प्रार्थना–पत्र का भाग समझा जावे। प्रार्थीगण रेखाराम वगैरह के खेत खसरा नम्बर 386 की पूर्व दिशा में एक रास्ता स्थित है जो पक्की डामर सड़क से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत की दक्षिणी पूरबी कोने के पास सांवरमल, पेमाराम व जेठाराम मेघवाल द्वारा काटी गई कॉलोनी के पास में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 386 के पश्चिमी दिशा में एक शिवशक्ति नगर नाम से कॉलोनी काटी गई है जिसके रास्ते भी उनके खेत से सट्टे हुए है जो 30 फीट चौड़े है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता होना बताया है तथा उक्त रास्ते की मांग की है वह सरासर गलत व आधारहीन है जिस जगह पर रास्ता होना बताया है वहॉं पर न तो रास्ते के अलामात है और न ही कभी रास्ता उक्त स्थान पर रहा है, मौका रिपोर्ट सरासर झूंठी व आधारहीन है उस स्थान पर बड़े–बड़े हरे पेड़ खड़े है जहॉं रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नही होता । प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के खेतो के बारे में दिनॉक 04.05.2012 को निर्णय हो चुका है मौका रिपोर्ट व मौका तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने खसरा नम्बर 386 व उसके सह–खातेदारो हेतु अलग से रास्ता भी नक्शे व खतौनी मे दर्शाया गया है जिसको प्रार्थी ने स्वीकार किया था तथा उस समय किसी प्रकार का एतराज निर्णय डिक्री पर्चा व मौका रिपोर्ट व नक्शे के विरुद्ध दर्ज नही कराया था और अब उक्त निर्णय को चुनौती देने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय मे नही है न ही इस न्यायालय को श्रवणाधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा संख्या 3295/391 मे से रास्ता दिलवाने बाबत मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

..... 4 .....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2120 दिनॉक 3.10.2016 अनुसार निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट दिनॉक 08.09.2016 इस न्यायालय को प्रेषित की है। मौका रिपोर्ट दिनॉक 08.09.2016 अनुसार खसरा नम्बर 3295/391 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे लम्बाई 60.40 मीटर, चौड़ाई 12.25 मीटर कुल भूमि 740 व.मी. बनती है, इस रास्ते की प्रस्तावित भूमि मे एक बबूल का पेड़ दो छोटे बेर के पेड़ है जिनका अनुमानित वजन 10 क्विंटल के लगभग है खसरा नम्बर 386 मे आने जाने के लिए ओर कोई कटाणी रास्ता नही है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नही है ।

दिनॉक 25.10.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रश्नगत प्रकरण में पुनः मौका देखा जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा मय नि.भू.अ.कुचामनसिटी, पटवारी हल्का के दिनॉक 17.11.2016 को मौका निरीक्षण किया गया। आदेशिका दिनॉक 12.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनॉक 19.04.2017 को प्रार्थी वकील द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही कर बहस सुनाई, जिससे प्रार्थना–पत्र स्वीकार दिनॉक 19.4.17 को एक–पक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाकर मूल प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी इस्तदुआ एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिलाये जाने का कथन किया। अप्रार्थीग वकील द्वारा बहस दौरान बताया कि मौके पर प्रार्थीगण के रास्ता है इसलिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 391 रकबा 0.6913 हैक्टर खसरा नम्बर 3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर खसरा नम्बर 3296/3270 रकबा 0.61 हैक्टर कुल रकबा 1.8060 हैक्टर में हीराराम पुत्र खेमाराम जाति जाट सा. देह खातेदारी नामा.4249 दर्ज है। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 386 रकबा 2.63 हैक्टर मे रेखाराम पुत्र सुखाराम सोहनीदेवी पत्नी रेखाराम राजूराम पुत्र औंकारराम गीता पत्नी राजूराम जाति जाट सा. परबतसर खातेदार ना.सं. 4249 दर्ज है। तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार हनुमानगढ़ से अजमेर हाईवे पर स्थित खसरा नम्बर 3295/391 मे से रास्ता प्रस्तावित बताया है। प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की स्थित भूमि खसरा नम्बर 386 में आने जाने से नक्शा ट्रेस में कही पर भी कटाणी रास्ता इत्यादि नही है। जिससे साबित है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आमद रफत इत्यादि हेतु आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा इत्यादि से होती है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के बदले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दर अनुसार मुआवजा राशि भी अप्रार्थी संख्या एक को देने हेतु तैयार है।

तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक/भू.अ./2120 दिनॉक 03.10.2016 के साथ प्राप्त रिपोर्ट 03.10.2016 मुताबिक नजरी एवं मौका नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर मे से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 60.40 मीटर लम्बाई व 12.25 मीटर चौड़ाई कुल 740 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है, तथा उक्त रास्ते की प्रस्तावित भूमि में एक बबूल का पेड़ एवं दो छोटे बेर के पेड़ है जिनका अनुमानित वनज 10 क्विंटल के लगभग है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की लम्बाई 12.25 मीटर (अर्थात 40 फीट) की मांग की है, जबकि नियमानुसार 9.15 मीटर अर्थात (30 फीट) तक की ही अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से एवं जवाब प्रार्थना–पत्र इत्यादि के अवलोकन करने पर न्यायालय का मत है कि

..... 5 .....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थीगण के खेत में जाने का एक–मात्र सबसे नजदीक तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट से यही रास्ता होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारीत किया जाता है ।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3295/391 रकबा 0.5047 हैक्टर मे से उत्तरी मात के सहारे–सहारे 60.40 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौड़ाई कुल 552.66 वर्ग मीटर अर्थात (0.0552.66 हैक्टर) का रास्ता कटाणी कायम किया जाकर सरकारी घोषित किया जाता है। ग्राम कुचामनसिटी की मेघा हाईवे की भूमि की डी.एल.सी.दर 6214790/– प्रति हैक्टर होने से 0.0552.66 हैक्टर की दर 324822/– रूपये की दो गुनी दर 649694/– रूपये तथा तीन पेड़ो की कीमत प्रति पेड़ 5000/– रूपये से 15000/–तय की जाती है,अर्थात 649694/–+ 15000/–कुल 664694/–अक्षरे छः लाख चौसठ हजार छः सौ चोरानवे रूपये प्रार्थीगण द्वारा जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा बैंक में जमा कराकर रसीद पेश करने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो तथा अप्रार्थीगण 1 को सूचित किया जाता है कि अपने हक हिस्से की भूमि की मुआवजा राशि न्यायालय से 1 माह मे उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवे। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24/04/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)